न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाडा
प्रकरण संख्या : 21/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/29

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एक्मे फिनट्रेड (इंडिया) लिमिटेड शाखा उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्रीमती पार्वती देवी कावरा पत्नी श्री नवीन चन्द्र काबरा 292, राजेश्वर बस्ती, कुशलबाग पैलेस, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी एवं जमानती)
2. श्री नवीन चन्द्र काबरा पिता गणेशलाल काबरा 292, राजेश्वर बस्ती, कुशलबाग पैलेस, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी एवं जमानती)
3. श्री शेखर काबरा पिता श्री नवीन चन्द्र काबरा 292, राजेश्वर बस्ती, कुशलबाग पैलेस, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 08-10-2021.

एक्मे फिनट्रेड (इंडिया) लिमिटेड शाखा उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्रीमती पार्वती देवी काबरा पत्नी श्री नवीन चन्द्र काबरा 292, राजेश्वर बस्ती, कुशलबाग पैलेस, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी एवं जमानती) 2– श्री नवीन चन्द्र काबरा पिता गणेशलाल काबरा 292, राजेश्वर बस्ती, कुशलबाग पैलेस, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी एवं जमानती) 3– श्री शेखर काबरा पिता श्री नवीन चन्द्र काबरा 292, राजेश्वर बस्ती, कुशलबाग पैलेस, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी) को दिनांक 30.03.202019 को क्रमशः राशि रुपया 29,00,000, 28,00,000, 28,000 का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 31–01–2020 तक क्रमशः 33,29,944, 32,11,490, 32,20,792 कुल बकाया ऋण राशि 97,62,226 रू. (सत्तानवे लाख बासठ हजार दो सौ छब्बीस मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्रीमती पार्वती देवी काबरा पत्नी श्री नवीन चन्द्र काबरा के नाम भूमि एवं निर्माण व्यावसायिक सम्पत्ति खसरा नं. 213/83, [illegible] एवं 280/211/82 जिसका क्षैत्रफल 1866.66 वर्ग गज है जो कि राजस्व ग्राम [illegible] तहसील बॉसवाडा जिला बॉसवाडा में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके [illegible] में कृषि भूमि, पश्चिम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 13:25:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

रोड, उत्तर में कृषि भूमि, दक्षिण में कृषि भूमि है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जयपुर क्षैत्रीय कार्यालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. बी–10.00092 दिनांक 05 सितम्बर 2019 प्रार्थी को जारी किया है। केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 21–02–2020 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया है। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस नोटिस जारी किये गये। दिनांक 03.09.2021 को अप्रार्थीगणो की ओर से श्री नरेश पुरोहीत अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 23.09.2021 को अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दी गई।

दिनांक 08.10.2021 को उभयपक्षीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी कंपनी का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही है, क्योंकि Debts Recovery Tribunal, Jaipur में प्रकरण क्रमांक 269/20 प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधिन है और उक्त प्रकरण मे अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2020 को स्थगन आदेश जारी किया है। प्रश्नगत भूमि इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लीज पर दी गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा स्थगन आदेश का तथ्य छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2021 को प्रस्तुत किया है जबकि अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2020 को ही स्थगन आदेश जारी कर दिया था। जो वर्तमान तक प्रभावी है। स्थगन आदेश होने के कारण यह प्रकरण कानूनन पोषणीय नही है और काबिले खारीज है।

वकील प्रार्थी की ओर से Debts Recovery Tribunal, Jaipur के आदेश दिनांक 21.09.2020 की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] का अन्तरिम राहत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (एस.ए. 163/2020) खारीज [illegible] रखी है।

हमने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर [illegible] का अवलोकन किया। Debts Recovery Tribunal, Jaipur में प्रकरण [illegible] 269/20 प्रार्थी के विरुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 13:25:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

विचाराधिन है और उक्त प्रकरण मे अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2020 को स्थगन आदेश जारी किया है। विधि अनुकूल सक्षम न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रकरण क्रमांक 269/20 पर निर्णय नही होता है तब तक प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नही की जा सकती है। अप्रार्थीगण का प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 13:25:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner